राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर–302006

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे–III /6536 दिनांकः– 22.08.2025

आदेश संख्याः–381 /2025–26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (PFMTI), जयपुर के तत्वाधान में कारागार प्रशिक्षण संस्थान (Jail Training Institute), जयपुर रोड, घूघरा, अजमेर–305023 में दिनांक 25.08.2025 से 17.10.2025 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के सात सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 25.08.2025 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता हैः–

S.No	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Posting Office
1.	2.	3.	4.
1.	710377	BABULAL	CBEO - 8000546 , EDUCATION (ELEMENTARY) , SARWAR , AJMER
2.	705733	MANSHA RAM GURJAR	CBEO, SMSA - 8000136 , RAJASTHAN SCHOOL EDUCATION COUNCIL SSA (EX CADRE POSTS) , SARWAR , AJMER

उक्त प्रशिक्षण की अवधि सात सप्ताह (छः सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण गैर–आवासीय है, यदि प्रशिक्षणार्थी आवास/बोर्डिंग आदि का लाभ लेना चाहे तो आवास व खान–पान आदि निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध रहेगी। यद्यपि कार्यदिवसों हेतु मध्यान्ह भोजन (Working Lunch) सभी प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

उक्त प्रशिक्षण अवधि में यात्रा भत्ता नियम के अध्याय XIII के नियम 34(2) अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा। परन्तु मील भत्ता नियमानुसार देय होगा।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः— एफ.4(ई)(1)(6) / क.ले.प्रशि. / 2025 / अलेसे—ाा / 6536 दिनांकः—22.08.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
4. पाठ्यक्रम निदेशक / प्रभारी, पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग / कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करावें।
5. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष .... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रुप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
6. कोषाधिकारी, अजमेर को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (PFMTI), जयपुर से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी / समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नही करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
10. रक्षित / निजी पत्रावली।

Seema

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक—ाा / ााा)